राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 14)

[20 सितम्बर, 2020]

एक ऐसी आयुर्विज्ञान शिक्षा पद्धति का, जो देश के सभी भागों में क्वालिटी और सस्ती आयुर्विज्ञान शिक्षा तक पहुंच बनाने में सुधार करती है, भारतीय चिकित्सा पद्धति के पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा व्यवसायियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करती है, जो ऐसी साम्यापूर्ण और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखरेख का संवर्धन करती है; जिससे सामुदायिक स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य को प्रोत्साहन मिलता है तथा ऐसे चिकित्सा वृत्तिकों की सेवाओं को सभी नागरिकों के लिए सुगम्य और वहन योग्य बनाती है; जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्यों का संवर्धन करती है; ऐसे चिकित्सा वृत्तिकों को, उनके कार्य में नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान अपनाने और अनुसंधान कार्य में योगदान करने हेतु प्रोत्साहित करती है; जिसका उद्देश्य आयुर्विज्ञान संस्थाओं का आवधिक और पारदर्शी रूप से मूल्यांकन करना और भारत के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक रजिस्टर को बनाए रखने को सुकर बनाना तथा चिकित्सीय सेवाओं के सभी पहलुओं में उच्च नैतिक मानकों को प्रवर्तित करना; जो परिवर्तनशील आवश्यकताओं को अंगीकार करने के लिए सुनम्य है और जिसमें एक प्रभावी शिकायत समाधान तंत्र सम्मिलित हो तथा उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग अधिनियम, 2020 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''स्वायत्त बोर्ड'' से धारा 18 के अधीन गठित कोई स्वायत्त बोर्ड अभिप्रेत है;

(ख) ''आयुर्वेद बोर्ड'' से धारा 18 के अधीन गठित बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) ''भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड'' से धारा 18 के अधीन गठित बोर्ड अभिप्रेत है;

(घ) ''यूनानी, सिद्ध और सोवा–रिग्पा बोर्ड'' से धारा 18 के अधीन गठित बोर्ड अभिप्रेत है;

(ङ) ''अध्यक्ष'' से धारा 5 के अधीन नियुक्त राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(च) ''आयोग'' से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग अभिप्रेत है;

(छ) ''परिषद्'' से धारा 11 के अधीन गठित भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी सलाहकार परिषद् अभिप्रेत है;

(ज) ''भारतीय चिकित्सा पद्धति'' से चिकित्सा की अष्टांग आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और सोवा–रिग्पा की ऐसी पद्धतियां अभिप्रेत हैं, जो ऐसी आधुनिक प्रगतियों, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक विकास, जिन्हें आयोग द्वारा, केंद्रीय सरकार के परामर्श से, समय–समय पर, अधिसूचना द्वारा घोषित किया जाए, से अनुपूरित हों;

(झ) ''अनुज्ञप्ति'' से धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन मंजूर की गई किसी भी भारतीय चिकित्सा पद्धति में व्यवसाय करने की अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है;

(ञ) ''भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी चिकित्सीय मूल्यांकन और रेंटिग बोर्ड'' से धारा 18 के अधीन गठित बोर्ड अभिप्रेत है;

(ट) ''चिकित्सा संस्था'' से भारत के भीतर या उसके बाहर की कोई ऐसी संस्था अभिप्रेत है, जो भारतीय चिकित्सा पद्धति में उपाधियां, डिप्लोमा या अनुज्ञप्तियां अनुदत्त करती है और इसके अंतर्गत सहबद्ध महाविद्यालय और सम विश्वविद्यालय भी हैं;

(ठ) ''सदस्य'' से धारा 4 में निर्दिष्ट आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उसका अध्यक्ष भी है;

(ड) ''राष्ट्रीय रजिस्टर'' से धारा 32 के अधीन भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड द्वारा अनुरक्षित भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय चिकित्सक रजिस्टर अभिप्रेत है;

(ढ) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और ''अधिसूचित'' पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ण) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(त) ''प्रधान'' से धारा 20 के अधीन नियुक्त किसी स्वायत्त बोर्ड का प्रधान अभिप्रेत है;

(थ) ''विनियम'' से इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;

(द) ''राज्य चिकित्सा परिषद्'' से भारतीय चिकित्सा पद्धति की कोई ऐसी राज्य चिकित्सा परिषद् अभिप्रेत है जो किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में के भारतीय चिकित्सा पद्धति के व्यवसायियों के व्यवसाय और रजिस्ट्रीकरण का विनियमित करने के लिए गठित की गई है;

(ध) ''राज्य रजिस्टर'' से किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन, भारतीय चिकित्सा पद्धति के व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुरक्षित राज्य रजिस्टर अभिप्रेत है;

(न) ''विश्वविद्यालय'' का वही अर्थ होगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) में उसका है और इसके अंतर्गत कोई स्वास्थ्य संबंधी विश्वविद्यालय भी है। (1956 का 3)

अध्याय 2

राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग

राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग का गठन।

3. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन अधिसूचना द्वारा, एक आयोग का गठन करेगी, जो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग के नाम से ज्ञात होगा और जो उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उसे समनुदेशित कृत्यों का अनुपालन करेगा।

(2) आयोग पूर्वोक्त नाम का शाश्वत् उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा, जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद लाएगा तथा उस पर वाद लाया जाएगा।

(3) आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

आयोग की संरचना।

4. (1) आयोग निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष;

(ख) पन्द्रह पदेन सदस्य; और

(ग) तेईस अंशकालिक सदस्य।

(2) अध्यक्ष एक उत्कृष्ट योग्यता प्रमाणित प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भारतीय चिकित्सा पद्धति की किसी भी विधा शाखा में स्नातकोत्तर डिग्री हो और जिसके पास भारतीय चिकित्सा पद्धति के किसी क्षेत्र में कम से कम बीस वर्ष का अनुभव हो, जिसमें से कम से कम दस वर्ष का अनुभव स्वास्थ्य देखरेख प्रदान करने, भारतीय चिकित्सा पद्धति की उन्नति और विकास या उसकी शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी के रूप में रहा हो।

(3) केंद्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को आयोग के पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) आयुर्वेद बोर्ड का प्रधान;

(ख) यूनानी, सिद्ध और सोवा–रिग्पा बोर्ड का प्रधान;

(ग) भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी चिकित्सीय मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड का प्रधान;

(घ) भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड का प्रधान;

(ङ) भारत सरकार का सलाहकार (आयुर्वेद) या संयुक्त सचिव, जो आयुर्वेद का प्रभारी हो और आयुष मंत्रालय में भारत सरकार का सलाहकार (यूनानी) या संयुक्त सचिव, जो यूनानी का प्रभारी हो;

(च) निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली;

(छ) महानिदेशक, आयुर्वेदिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली;

(ज) महानिदेशक, यूनानी चिकित्सा अनुसंधान केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली;

(झ) महानिदेशक, सिद्ध अनुसंधान केन्द्रीय परिषद्, चेन्नई;

(ञ) निदेशक, राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई;

(ट) निदेशक, राष्ट्रीय यूनानी संस्थान, बंगलूरू;

(ठ) निदेशक, पूर्वोत्तर आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान, शिलांग;

(ड) निदेशक, आयुर्वेद में अध्यापन और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, जामनगर; और

(ढ) निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर।

(4) केंद्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाने वाले चार सदस्य, जिनके पास भारतीय चिकित्सा पद्धति की किसी विधा शाखा, संस्कृत, उर्दू, तमिल, प्रबंध, विधि, स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अर्थशास्त्र में विशेष ज्ञान और वृत्तिक अनुभव है;

(ख) भारतीय चिकित्सा पद्धति सलाहकार परिषद् में राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के नामनिर्देशितियों में से ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, दो वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम के आधार पर नियुक्त किए जाने वाले दस सदस्य;

(ग) ऐसी रीति में, जो विहित की जाए दो वर्ष की अवधि के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति सलाहकार परिषद् में के धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नामनिर्देशिती में से छह सदस्य आयुर्वेद से, सिद्ध, यूनानी और सोवा–रिग्पा प्रत्येक से एक–एक सदस्य नियुक्त किए जाने वाले :

परंतु कोई भी सदस्य, या तो स्वयं या अपने किसी कुटुंब सदस्य के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस अधिनियम के अधीन विनियमित किसी प्राइवेट या गैर–सरकारी चिकित्सा संस्था के प्रबंध निकाय का स्वामी नहीं होगा या उससे सहबद्ध नहीं होगा या कोई संबंध नहीं रखेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा 19 के प्रयोजन के लिए, "अग्रणी" पद से किसी विभाग का अध्यक्ष या किसी संगठन का प्रधान अभिप्रेत है।

5. (1) केंद्रीय सरकार, धारा 4 में निर्दिष्ट अध्यक्ष और धारा 20 में निर्दिष्ट स्वायत्त बोर्डों के प्रधानों की नियुक्ति एक खोजबीन समिति की सिफारिशों के आधार पर करेगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,— अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए खोजबीन समिति।

(क) मंत्रिमंडल सचिव —— अध्यक्ष;

(ख) दो विशेषज्ञ, जिनके पास भारतीय चिकित्सा पद्धति के किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट अर्हताएं और कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव हो, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा —— सदस्य;

(ग) धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ग) में निर्दिष्ट सदस्यों में से एक विशेषज्ञ, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा, ऐसी रीति में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, जो विहित की जाए – सदस्य;

(घ) उत्कृष्ट अर्हताएं और संस्कृत, उर्दू और तमिल, स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान, प्रबंध, विधि अर्थशास्त्र या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव रखने वाला एक व्यक्ति, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा – सदस्य;

(ङ) आयुष मंत्रालय का भारसाधक भारत सरकार का सचिव, जो संयोजक होगा —— सदस्यः

परंतु धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (क) में निर्दिष्ट आयोग के अंशकालिक सदस्यों, धारा 8 में निर्दिष्ट सचिव और धारा 20 में निर्दिष्ट स्वायत्त बोर्डों के अन्य सदस्यों के चयन के लिए एक खोजबीन समिति होगी, जो खंड (ख) से खंड (घ) में विनिर्दिष्ट सदस्यों और संयोजक–सदस्य के रूप में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के संयुक्त सचिव से मिलकर बनेगी और उसकी अध्यक्षता भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के भारसाधक सचिव द्वारा की जाएगी।

(2) केंद्रीय सरकार, किसी रिक्ति, जिसके अंतर्गत, अध्यक्ष या किसी सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाया जाना भी है, होने की तारीख से एक मास के भीतर या अध्यक्ष अथवा सदस्य की पदावधि की समाप्ति से पूर्व तीन मास के भीतर, उक्त रिक्ति को भरे जाने के लिए खोजबीन समिति को निर्देश करेगी।

(3) खोजबीन समिति, उसे निर्दिष्ट प्रत्येक रिक्ति के लिए कम से कम तीन नामों के एक पैनल की सिफारिश करेगी।

(4) खोजबीन समिति, किसी व्यक्ति की आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु सिफारिश करने से पूर्व, स्वयं का यह समाधान करेगी कि ऐसे व्यक्ति का ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है, जिससे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्यों को प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

(5) अध्यक्ष या सदस्य की कोई नियुक्ति मात्र इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि खोजबीन समिति में किसी सदस्य की कोई रिक्ति है या वह अनुपस्थित था।

(6) उपधारा (2) से उपधारा (5) तक के उपबंधों के अधीन रहते हुए खोजबीन समिति अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित कर सकेगी ।

6. (1) अध्यक्ष और सदस्य (पदेन सदस्यों से भिन्न) तथा धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन नियुक्त सदस्य चार वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और वे किसी विस्तारण या पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे : अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें।

परंतु ऐसा व्यक्ति सत्तर वर्ष की आयु पूरा करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा।

(2) पदेन सदस्य की पदावधि उस समय तक बनी रहेगी, जब तक वह उस पद को धारण करता है, जिसके कारण वह ऐसा सदस्य है।

(3) जहां पदेन सदस्य से भिन्न, कोई सदस्य, आयोग की तीन क्रमवर्ती साधारण बैठकों में अनुपस्थित रहता है और उसकी ऐसी अनुपस्थिति का कारण आयोग की राय में कोई विधिमान्य कारण नहीं माना जा सकता है, वहां ऐसे सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है।

(4) अध्यक्ष और पदेन सदस्य से भिन्न, सदस्य को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं।

(5) अध्यक्ष या कोई सदस्य,––

(क) केंद्रीय सरकार को लिखित में, कम से कम तीन मास की सूचना देकर, अपने पद का त्याग कर सकेगा; या

(ख) धारा 7 के उपबंधों के अनुसार उसे पद से हटाया जा सकेगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार ऐसा विनिश्चय करती है तो ऐसे किसी व्यक्ति को उसके कर्तव्यों से तीन मास की अवधि से पूर्व भी निर्मुक्त किया जा सकेगा या उसे तीन मास से आगे भी तब तक पद पर बने रहने की अनुज्ञा दी जा सकेगी, जब तक उसका उत्तरवर्ती नियुक्त नहीं कर दिया जाता है।

(6) आयोग का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य पदग्रहण करते समय और पद का त्याग करते समय भी, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, अपनी आस्तियों और दायित्वों के संबंध में घोषणा करेगा और साथ ही अपने वृत्तिक और वाणिज्यिक नियोजनों या अन्तर्ग्रस्तता के संबंध में भी घोषणा करेगा और ऐसी घोषणा आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

(7) अध्यक्ष या कोई सदस्य, इस प्रकार अपने पदधारण करने से प्रविरत हो जाने के पश्चात्, इस प्रकार ऐसा पद छोड़े जाने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए, भारतीय चिकित्सा पद्धति की किसी प्राइवेट आयुर्विज्ञान संस्था में, जिसके किसी मामले के संबंध में उसने ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्यवाही की थी, किसी भी हैसियत में, जिसके अंतर्गत परामर्शी या विशेषज्ञ भी है, कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेगा :

परंतु इसमें अंतर्विष्ट किसी बात का ऐसे व्यक्ति को किसी निकाय या संस्था में, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या अनुरक्षित भारतीय चिकित्सा पद्धति की कोई आयुर्विज्ञान संस्था भी है, नियोजन स्वीकार करने से निवारित करने के रूप में अर्थ नहीं लगाया जाएगा।

(8) उपधारा (7) की कोई बात केंद्रीय सरकार को ऐसे अध्यक्ष या किसी सदस्य को भारतीय चिकित्सा पद्धति की किसी प्राइवेट आयुर्विज्ञान संस्था में, जिसके किसी मामले के संबंध में उसने ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कोई कार्यवाही की थी, किसी भी हैसियत में, जिसके अंतर्गत परामर्शी या विशेषज्ञ भी है, कोई नियोजन स्वीकार करने से निवारित नहीं करेगी।

आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का हटाया जाना।

7. (1) केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा किसी ऐसे अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को पद से हटा सकेगी,—

(क) जिसे दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है; या

(ख) जिसे ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(ग) जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया है; या

(घ) जो विकृतचित्त का है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसी घोषणा विद्यमान है; या

(ङ) जिसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(च) जिसने अपने पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया है जिससे उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल हो गया है।

(2) किसी सदस्य को उपधारा (1) के खंड (ङ) और खंड (च) के अधीन पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे उस मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

आयोग के सचिव, विशेषज्ञों, वृत्तिकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति।

8. (1) आयोग का एक सचिवालय होगा, जिसका प्रधान एक सचिव होगा, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 5 के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा।

(2) आयोग का सचिव प्रमाणित प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा वाला एक ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पास ऐसी अर्हताएं और अनुभव हो, जो विहित किया जाए।

(3) सचिव, केंद्रीय सरकार द्वारा चार वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और वह किसी विस्तारण या पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(4) सचिव, आयोग के ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो उसे आयोग द्वारा समनुदेशित किए जाएं और जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(5) आयोग, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा सृजित पदों के प्रति उतने अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा, जितने वह आवश्यक समझे।

(6) आयोग के सचिव, अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं।

(7) आयोग, विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, उतनी संख्या में, सत्यनिष्ठा और उत्कृष्ट योग्यता रखने वाले ऐसे विशेषज्ञों और वृत्तिकों को नियोजित कर सकेगा, जितने वह इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों के निर्वहन में उसकी सहायता करने के लिए आवश्यक समझे और जिनके पास भारतीय चिकित्सा पद्धति का विशेष ज्ञान और भारतीय चिकित्सा पद्धति में आयुर्विज्ञान शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, प्रबंध, अर्थशास्त्र, प्रत्यायन, रोगी परामर्शी सेवाओं, स्वास्थ्य अनुसंधान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, प्रशासन, वित्त, लेखा या विधि जैसे क्षेत्रों में अनुभव हो।

आयोग की बैठकें।

9. (1) आयोग, प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार ऐसे समय और स्थान पर, जो अध्यक्ष द्वारा नियत किया जाए, बैठक करेगा।

(2) अध्यक्ष, आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेगा और यदि किसी कारण से अध्यक्ष आयोग की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो ऐसा कोई सदस्य, जो किसी स्वायत्त बोर्ड का प्रधान है और जिसे अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया है, बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) जब तक आयोग की बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया विनियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित नहीं कर दी जाती है, तब तक आयोग के सदस्यों की कुल संख्या की आधी संख्या, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है, गणपूर्ति का गठन करेगी और आयोग के सभी विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किए जाएंगे और मतों के बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपधारा (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट स्वायत्त बोर्ड के प्रधान का निर्णायक मत होगा।

(4) आयोग के प्रशासन का साधारण अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण अध्यक्ष में निहित होगा।

(5) आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि,—

(क) आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है।

(6) ऐसा कोई व्यक्ति, जो धारा 30 की उपधारा (4) के अधीन निर्दिष्ट विनिश्चय के सिवाय आयोग के किसी विनिश्चय से व्यथित है, ऐसे विनिश्चय की संसूचना के पन्द्रह दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगा।

आयोग की शक्ति और कृत्य।

10. (1) आयोग निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) भारतीय चिकित्सा पद्धति की उच्च गुणवत्ता और उच्च मानक बनाए रखने के लिए नीतियां अधिकथित करना और इस निमित्त आवश्यक विनियम बनाना;

(ख) आयुर्विज्ञान संस्थाओं, आयुर्विज्ञान संबंधी अनुसंधानों और चिकित्सा वृत्तिकों के विनियमन के लिए नीतियां अधिकथित करना और इस निमित्त आवश्यक विनियम बनाना;

(ग) स्वास्थ्य संबंधी देख–रेख के क्षेत्र में अपेक्षाओं का मूल्यांकन करना, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संबंधी देख–रेख हेतु अवसंरचना के लिए मानव संसाधन भी हैं, तथा ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कार्ययोजना तैयार करना;

(घ) ऐसे विनियम बनाकर जो आयोग, स्वायत्त बोर्डों और भारतीय चिकित्सा पद्धति की राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों के उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक हो मार्गदर्शक सिद्धांत विरचित करना और नीतियां अधिकथित करना;

(ङ) स्वायत्त बोर्डों के बीच समन्वय सुनिश्चित करना;

(च) ऐसे उपाय करना, जो भारतीय चिकित्सा पद्धति की राज्य आयुर्विज्ञान परिषदों द्वारा इस अधिनियम के अधीन उनके प्रभावी कार्यकरण के लिए इस अधिनियम के अधीन विरचित मार्गदर्शक सिद्धांतों और बनाए गए विनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करें;

(छ) स्वायत्त बोर्डों के विनिश्चयों के संबंध में अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करना;

(ज) चिकित्सा व्यवसाय में वृत्तिक नैतिकता के अनुपालन को सुनिश्चित करना और चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा देखभाल की व्यवस्था के दौरान नैतिक आचरण का संवर्धन करना;

(झ) ऐसे प्राइवेट आयुर्विज्ञान संस्थाओं और मानद विश्वविद्यालयों में के, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन शासित होते हैं, में पचास प्रतिशत स्थानों के संबंध में फीस और अन्य सभी प्रभारों के अवधारण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विरचित करना;

(ञ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो विहित किए जाएं।

(2) आयोग के सभी आदेशों और विनिश्चयों को सचिव के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा और आयोग ऐसे प्रशासनिक तथा वित्तीय विषयों से संबंधित अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन सचिव को कर सकेगा, जैसा वह ठीक समझे।

(3) आयोग, उपसमितियों का गठन कर सकेगा और उन्हें अपनी ऐसी शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकेगा, जो उनके द्वारा विनिर्दिष्ट कार्यों को पूरा किए जाने हेतु समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों।

अध्याय 3

भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी सलाहकार परिषद्

भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी सलाहकार परिषद् का गठन और संरचना ।

11. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी सलाहकार परिषद् नामक एक सलाहकार निकाय का गठन करेगी।

(2) परिषद्, अध्यक्ष और निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) आयोग का अध्यक्ष परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) आयोग का प्रत्येक सदस्य, परिषद् का पदेन सदस्य होगा;

(ग) प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला, एक सदस्य जो उस राज्य के किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो और भारतीय चिकित्सा पद्धति में अर्हता रखता हो और प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक सदस्य, जो उस संघ राज्य क्षेत्र में के विश्वविद्यालय का कुलपति हो और भारतीय चिकित्सा पद्धति में अर्हता रखता होः

परंतु जहां भारतीय चिकित्सा पद्धति में अर्हता रखने वाला कुलपति उपलब्ध नहीं है, वहां ऐसे डीन या संकायाध्यक्ष को, भारतीय चिकित्सा पद्धति में अर्हताएं रखता हो, नामनिर्देशित किया जाएगा;

(घ) भारतीय चिकित्सा पद्धति के राज्य चिकित्सा परिषद् के निर्वाचित सदस्यों में से प्रत्येक राज्य और प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस राज्य की चिकित्सा परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट् किया जाने वाला एक सदस्य;

(ङ) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग;

(च) निदेशक, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद्;

(छ) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले चार सदस्य, जो ऐसे व्यक्तियों में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जो भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंध संस्थानों और भारतीय विज्ञान संस्थानों में निदेशक का पद धारण कर रहे हैं।

भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी सलाहकार परिषद् के कृत्य।

12. (1) परिषद् एक ऐसा प्राथमिक मंच होगा, जिसके माध्यम से राज्य और संघ राज्यक्षेत्र आयोग के समक्ष अपने विचारों और मामलों को रखे जा सकेंगे और जो आयुर्विज्ञान शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास से संबंधित समग्र कार्यसूची, नीति और कार्रवाई को तैयार करने में सहायक हो सकेंगे।

(2) परिषद् आयोग को ऐसे उपायों के बारे में सलाह देगी, जो आयुर्विज्ञान शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास से संबंधित सभी विषयों में, न्यूनतम मानकों को अवधारित करने और उन्हें बनाए रखने, तथा उन्हें बनाए रखने के संबंध में समन्वय करने से संबंधित हों।

(3) परिषद् आयोग को ऐसे उपायों के बारे में सलाह देगी, जो आयुर्विज्ञान शिक्षा तक साम्यापूर्ण पहुंच का संवर्धन करें।

भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी सलाहकार परिषद् की बैठकें।

13. (1) परिषद्, एक वर्ष में कम से कम दो बार ऐसे समय और स्थान पर, जो अध्यक्ष द्वारा नियत किया जाए, बैठकें करेगी।

(2) अध्यक्ष, परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करेगा और यदि किसी कारण से अध्यक्ष, परिषद् की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो ऐसा कोई अन्य सदस्य, जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया है, बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) जब तक विनियमों द्वारा प्रक्रिया अन्यथा उपबंधित न की जाए, तब तक गणपूर्ति परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या की आधी संख्या, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है, से होगी और परिषद् की सभी कार्रवाइयों का विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से होगा।

अध्याय 4

राष्ट्रीय परीक्षा

राष्ट्रीय पात्रता–सह–प्रवेश परीक्षा।

14. (1) इस अधिनियम के अधीन शासित भारतीय चिकित्सा पद्धति की सभी आयुर्विज्ञान संस्थाओं में की प्रत्येक विधा शाखाओं में स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक समान राष्ट्रीय पात्रता–सह–प्रवेश परीक्षा होगी :

परंतु राष्ट्रीय पात्रता–सह–प्रवेश परीक्षा से ऐसे छात्रों को छूट प्राप्त होगी, जिन्होंने निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया है,––

(i) बैचलर आफ यूनानी मेडिसन एंड सर्जरी के लिए प्री–तिब; और

(ii) बैचलर आफ आयुर्वेदिक मेडिसन एंड सर्जरी के लिए प्री–आयुर्वेद।

(2) आयोग, राष्ट्रीय पात्रता–सह–प्रवेश परीक्षा का आयोजन अंग्रेजी और ऐसी अन्य भाषाओं में, एक ऐसे अभिहित प्राधिकरण के माध्यम से और ऐसी रीति में करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(3) आयोग, विनियमों द्वारा, इस अधिनियम के अधीन शासित सभी आयुर्विज्ञान संस्थाओं में प्रवेश के लिए अभिहित प्राधिकरण द्वारा सामान्य कांउसलिंग की रीति विनिर्दिष्ट करेगा :

परंतु यह सामान्य कांउसलिंग अभिहित—

(i) अखिल भारतीय स्थानों के लिए, केंद्रीय सरकार के; और

(ii) राज्य स्तर पर शेष स्थानों के लिए, राज्य सरकार के,

अभिहित प्राधिकारियों द्वारा संचालित होगी।

(4) आयोग स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों के लिए ऐसे अभ्यर्थियों, जो उपधारा (1) के अधीन छूट प्राप्त हैं के प्रवेश की रीति को विनियमन द्वारा विनिर्दिष्ट करेगा।

राष्ट्रीय निकास परीक्षा।

15. (1) राष्ट्रीय निकास परीक्षा के नाम से ज्ञात एक सामान्य अंतिम वर्ष स्नातकपूर्व चिकित्सीय परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति की संबद्ध विधा शाखाओं में चिकित्सीय व्यवसाय के रूप में व्यवसाय हेतु अनुज्ञप्ति मंजूर की जाएगी और यथास्थिति, राष्ट्रीय रजिस्टर या राज्य रजिस्टर में नामांकन किया जाएगा।

(2) आयोग, राष्ट्रीय निकास परीक्षा का आयोजन अंग्रेजी और ऐसी अन्य भाषाओं में, एक ऐसे अभिहित प्राधिकरण के माध्यम से और ऐसी रीति में करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(3) राष्ट्रीय निकास परीक्षा, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर, ऐसी तारीख से प्रवर्तन में आएगी, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

(4) विदेशी आयुर्विज्ञान अर्हता रखने वाले किसी व्यक्ति को, भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सा व्यवसायी के रूप में व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए और, यथास्थिति, ऐसी रीति से जो विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकन के लिए, राष्ट्रीय निकास परीक्षा को अर्हित करनी होगी।

स्नातकोत्तर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा।

16. (1) इस अधिनियम के अधीन शासित भारतीय चिकित्सा पद्धति की सभी आयुर्विज्ञान संस्थाओं की प्रत्येक विधा शाखा के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक समान स्नातकोत्तर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा संचालित की जाएगी।

(2) आयोग, स्नातकोत्तर राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा का संचालन अंग्रेजी और ऐसी अन्य भाषाओं में, एक ऐसे अभिहित प्राधिकरण के माध्यम से और ऐसी रीति में करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(3) आयोग, विनियमों द्वारा, इस अधिनियम के अधीन शासित सभी आयुर्विज्ञान संस्थाओं में स्नातकोत्तर सीटों पर प्रवेश के लिए अभिहित प्राधिकरण द्वारा सामान्य कांउसलिंग के संचालन की रीति विनिर्दिष्ट करेगा।

भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा।

17. (1) भारतीय चिकित्सा पद्धति की प्रत्येक विधा शाखा में ऐसे स्नातकोत्तर व्यक्तियों के लिए, जो उस विधा शाखा में अध्यापन वृत्ति ग्रहण करने की वांछा करते हैं, पृथक् रूप से एक राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

(2) आयोग, राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन अंग्रेजी और ऐसी अन्य भाषाओं में, एक ऐसे अभिहित प्राधिकरण के माध्यम से और ऐसी रीति में करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(3) भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर, ऐसी तारीख से प्रवर्तन में आएगी, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, अधिसूचित करे :

परंतु इस धारा की कोई बात उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित तारीख से पूर्व नियुक्त अध्यापकों को लागू नहीं होगी ।

अध्याय 5

स्वायत्त बोर्ड

स्वायत्त बोर्डों का गठन।

18. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, आयोग के व्यापक पर्यवेक्षण के अधीन निम्नलिखित स्वायत्त बोर्डों का गठन करेगी, जो इस अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्डों को समनुदेशित कृत्यों का पालन करेंगे, अर्थात् :—

(क) आयुर्वेद बोर्ड;

(ख) यूनानी, सिद्ध और सोवा–रिग्पा बोर्ड;

(ग) भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी चिकित्सीय निर्धारण और रेटिंग बोर्ड; और

(घ) भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक बोर्ड एक स्वायत्त बोर्ड होगा, जो आयोग द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करेगा।

स्वायत्त बोर्डों की संरचना।

19. (1) स्वायत्त बोर्डों की संरचना निम्नानुसार होगी, अर्थात् :—

(क) आयुर्वेद बोर्ड एक प्रधान और भारतीय चिकित्सा पद्धति की आयुर्वेद विधा शाखा के चार सदस्यों से मिलकर बनेगा;

(ख) यूनानी, सिद्ध और सोवा–रिग्पा बोर्ड एक प्रधान और भारतीय चिकित्सा पद्धति की यूनानी, सिद्ध और सोवा–रिग्पा विधा शाखाओं में से, प्रत्येक से दो सदस्यों से मिलकर बनेगा;

(ग) भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी चिकित्सीय निर्धारण और रेटिंग बोर्ड एक प्रधान और आठ सदस्यों से मिलकर बनेगा :

परंतु प्रधान और आठ में से छह सदस्यों को भारतीय चिकित्सा पद्धति की आयुर्वेद, सिद्ध, सोवा–रिग्पा और यूनानी, विधा शाखा से ऐसी रीति में चुना जाएगा, जिससे कम से कम एक सदस्य पृथक् रूप से ऐसी एक विधा शाखा का प्रतिनिधित्व करे और शेष दो सदस्यों के प्रत्यायन विशेषज्ञ होंगे;

(घ) भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड एक प्रधान और आठ सदस्यों से मिलकर बनेगाः

परंतु प्रधान और आठ में से छह सदस्यों को भारतीय चिकित्सा पद्धति की आयुर्वेद, सिद्ध, सोवा–रिग्पा और यूनानी, विधा शाखा से ऐसी रीति में चुना जाएगा, जिससे कम से कम एक सदस्य पृथक् रूप से ऐसी एक विधा शाखा का प्रतिनिधित्व करे और शेष दो सदस्यों को क्वालिटी आश्वासन, लोक स्वास्थ्य, विधि या रोगी परामर्शी सेवाओं की किसी भी विधा शाखा से चुना जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन चुने जाने वाले प्रधान और सदस्य उत्कृष्ट योग्यता, प्रमाणित प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति होंगे, जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से संबद्ध विधा शाखा में स्नातकोत्तर डिग्री होगी और जिनके पास संबद्ध क्षेत्रों में कम से कम पन्द्रह वर्ष का अनुभव होगा, जिसमें से कम से कम सात वर्ष का अनुभव अग्रणीय के रूप में होगा :

परंतु भारतीय चिकित्सा पद्धति से प्रधान और सदस्य की दशा में अग्रणीय रूप में सात वर्ष का अनुभव स्वास्थ्य, भारतीय चिकित्सा पद्धति में शिक्षा की उन्नति और विकास के क्षेत्र में होगा।

प्रधान और सदस्यों की नियुक्ति के लिए खोजबीन समिति।

20. केंद्रीय सरकार, धारा 5 के अधीन गठित खोजबीन समिति के द्वारा, उस धारा में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार की गई सिफारिशों के आधार पर स्वायत्त बोर्डों के प्रधान और सदस्यों की नियुक्ति करेगी।

प्रधान और सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें ।

21. (1) प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड का प्रधान और सदस्य चार वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और वे किसी विस्तारण या पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे :

परंतु ऐसा व्यक्ति सत्तर वर्ष की आयु पूरा करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा।

(2) स्वायत्त बोर्ड के प्रधान और सदस्य को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं।

(3) आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधनों और शर्तों से संबंधित धारा 6 की उपधारा (3), उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) तथा उन्हें उनके पद से हटाए जाने से संबंधित धारा 7 में अंतर्विष्ट उपबंध स्वायत्त बोर्डों के प्रधान और सदस्यों को भी लागू होंगे।

विशेषज्ञों की सलाहकार समितियां ।

22. (1) भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड के सिवाय, प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड की सहायता, विशेषज्ञों की ऐसी सलाहकार समितियों द्वारा की जाएगी, जिनका गठन इस अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्डों के कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आयोग द्वारा किया जाए ।

(2) भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड की सहायता विशेषज्ञों की ऐसी नैतिक समितियों द्वारा की जाएगी, जो इस अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्डों के कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आयोग द्वारा गठित की जाए।

स्वायत्त बोर्डों के कर्मचारिवृंद।

23. धारा 8 के अधीन नियुक्त विशेषज्ञ, वृत्तिक, अधिकारी और अन्य कर्मचारी उतनी संख्या में और ऐसी रीति में, जो आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, स्वायत्त बोर्ड को उपलब्ध होंगे।

स्वायत्त बोर्डों की बैठकें, आदि।

24. (1) प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड की बैठक प्रत्येक मास में कम से कम एक बार ऐसे समय और स्थान पर होगी, जिसे वह नियत करे।

(2) इस निमित्त बनाए जाने वाले विनियमों के अधीन रहते हुए स्वायत्त बोर्ड के सभी विनिश्चय आम सहमति से किए जाएंगे और यदि आम सहमति संभव नहीं है तो विनिश्चय प्रधान और सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा।

(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जो स्वायत्त बोर्ड के किसी विनिश्चय से व्यथित है, ऐसे विनिश्चय की संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर आयोग को ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध अपील कर सकेगा।

25. (1) आयोग, अपनी सभी या किन्हीं प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों को प्रत्येक स्वायत्त बोर्ड के प्रधान को प्रत्यायोजित कर सकेगा, जिससे ऐसे बोर्ड के सुचारु और दक्ष कार्यकरण को समर्थ बनाया जा सके। शक्तियों का प्रत्यायोजन।

(2) किसी स्वायत्त बोर्ड का प्रधान उस बोर्ड के किसी सदस्य या किसी अधिकारी को अपनी शक्तियों में से किन्हीं शक्तियों का आगे और प्रत्यायोजन कर सकेगा।

26. (1) भारतीय चिकित्सा पद्धति की आयुर्वेद विधा शाखा के संबंध में आयुर्वेद बोर्ड तथा यूनानी, सिद्ध और सोवा–रिग्पा विधा शाखाओं के संबंध में यूनानी, सिद्ध और सोवा–रिग्पा बोर्ड अपनी–अपनी विधा शाखाओं से संबंधित निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेंगे, अर्थात् :— स्वायत्त बोर्डों की शक्तियां और कृत्य।

(क) स्नातक पूर्व, स्नातकोत्तर और अतिविशिष्ट स्तरों पर शिक्षा के मानकों का अवधारण करना और उससे संबंधित सभी पहलुओं की निगरानी करना;

(ख) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार सभी स्तरों पर सक्षमता आधारित गतिशील पाठ्यचर्या को ऐसी रीति में विकसित करना जिससे स्नातकोत्तर और अतिविशिष्ट छात्रों के बीच उपयुक्त कौशल, ज्ञान, मनोवृति, मूल्य और नैतिकता का विकास हो तथा उन्हें उपयुक्त स्वास्थ्य देख–रेख करने, चिकित्सीय शिक्षा प्रदान करने तथा चिकित्सा अनुसंधान करने हेतु समर्थ बनाया जा सके;

(ग) आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और सोवा–रिग्पा की विधाओं में देश की आवश्यकताओं, वैश्विक मानकों तथा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों को ध्यान में रखते हुए स्नातक पूर्व, स्नातकोत्तर और अतिविशिष्ट पाठ्यक्रम प्रदान करने हेतु आयुर्विज्ञान संस्थाओं को स्थापित करने के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत विरचित करना;

(घ) स्थानीय स्तरों पर सृजनात्मकता की आवश्यकताओं और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों को ध्यान में रखते हुए इन पाठ्यक्रमों का संचालन करने तथा आयुर्विज्ञान संस्थाओं में परीक्षाओं के संचालन के लिए न्यूनतम अपेक्षाओं और मानकों का अवधारण करना;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार, भारतीय चिकित्सा पद्धति की आयुर्विज्ञान संस्थाओं में शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में अवसंरचना, संकाय और गुणवत्ता के मानक और सन्नियम अवधारित करना;

(च) भारतीय चिकित्सा पद्धति की चिकित्सा संस्थाओं द्वारा उनके ऐसे कृत्यों के संबध में, जो विभिन्न पणधारियों, जिनके अंतर्गत छात्र, संकाय, आयोग और सरकार भी है, को प्रभावित करते हैं, इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा अनिवार्य वार्षिक प्रकटनों के लिए सन्नियम विनिर्दिष्ट करना;

(छ) संकाय सदस्यों के विकास और प्रशिक्षण को सुकर बनाना;

(ज) अनुसंधान कार्यक्रमों को सुकर बनाना;

(झ) सभी स्तरों पर चिकित्सीय अर्हताओं को मान्यता प्रदान करना।

(2) आयुर्वेद बोर्ड और यूनानी, सिद्ध और सोवा–रिग्पा बोर्ड, अपने कृत्यों के निर्वहन में आयोग को ऐसी सिफारिशें कर सकेंगें और आयोग से ऐसे निदेश प्राप्त कर सकेंगें, जिन्हें वह आवश्यक समझे।

27. (1) भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :— भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड की शक्तियां और कृत्य।

(क) धारा 32 के उपबंधों के अनुसार भारतीय चिकित्सा पद्धति के सभी अनुज्ञप्त व्यवसायियों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर का अनुरक्षण करना;

(ख) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार वृत्तिक आचार को विनियमित करेगा और नैतिकता का संवर्धन करेगा :

परंतु भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड उस दशा में, जहां राज्य आयुर्विज्ञान परिषद् को संबंद्ध राज्य अधिनियमों के अधीन चिकित्सा व्यवसायियों द्वारा वृत्तिक या नैतिक कदाचार के संबंध में अनुशासनिक कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान की गई है, वहां राज्य चिकित्सा परिषद् द्वारा वृत्तिक और नैतिक आचार संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा;

(ग) भारतीय चिकित्सा पद्धति की राज्य चिकित्सा परिषदों के साथ सतत् परस्पर क्रियाओं के द्वारा ऐसे तंत्रों का विकास करना, जो प्रभावी रूप से भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सा व्यवसायियों के आचार का विनियमन और संवर्धन करेंगे;

(घ) राज्य चिकित्सा परिषद्, धारा 31 के अधीन की गई कार्रवाई के संबंध में अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करना।

(2) भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड, अपने कृत्यों के निर्वहन में आयोग को ऐसी सिफारिशें कर सकेगा और आयोग से ऐसे निदेश प्राप्त कर सकेगा, जिन्हें वह आवश्यक समझे।

भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड की शक्तियां और कृत्य।

28. (1) भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:—

(क) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार, यथास्थिति आयुर्वेद बोर्ड या यूनानी, सिद्ध और सोवा–रिग्पा बोर्ड द्वारा अधिकथित मानकों के अनुपालन के आधार पर आयुर्विज्ञान संस्थाओं के मूल्यांकन और उनकी रेटिंग के लिए प्रक्रिया का अवधारण करना;

(ख) धारा 29 के उपबंधों के अनुसार नई आयुर्विज्ञान संस्था की स्थापना के लिए या कोई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने या सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए अनुज्ञा प्रदान करना;

(ग) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार ऐसी संस्थाओं के मूल्यांकन और उनकी रेटिंग करने के लिए उनका निरीक्षण करना :

परंतु भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड, यदि वह आवश्यक समझता है तो किसी अन्य तृतीय पक्षकार अभिकरण या व्यक्तियों को आयुर्विज्ञान संस्थाओं के मूल्यांकन और रेटिंग के लिए ऐसी संस्थाओं को निरीक्षण करने हेतु भाड़े पर ले सकेगा और प्राधिकृत कर सकेगा :

परंतु यह और कि जहां आयुर्विज्ञान संस्थाओं का निरीक्षण किसी ऐसे तृतीय पक्षकार अभिकरण या व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, जो भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड द्वारा प्राधिकृत हैं, वहां ऐसी संस्थाओं के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वे ऐसे अभिकरण या व्यक्ति को पहुंच प्रदान करें;

(घ) सभी आयुर्विज्ञान संस्थाओं का, उनके प्रारंभ किए जाने के पश्चात् ऐसी अवधि के भीतर और उसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष ऐसे समय पर और ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, मूल्यांकन और रेटिंग करना या मूल्यांकन और रेटिंग करने के लिए, जहां–कहीं वह आवश्यक समझें, स्वतंत्र रेटिंग अभिकरणों को पैनलीकृत करना;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार उसकी अपनी वेबसाइट पर या सार्वजनिक पटल पर नियमित अंतरालों पर आयुर्विज्ञान संस्थाओं के मूल्यांकन और उनकी रेटिंग को उपलब्ध कराना;

(च) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार ऐसे उपाय करना, जिनके अंतर्गत किसी ऐसी आयुर्विज्ञान संस्था के विरुद्ध, जो, यथास्थिति, आयुर्वेद बोर्ड या यूनानी, सिद्ध और सोवा–रिग्पा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम अनिवार्य मानकों को बनाए रखने में असफल रहती है, चेतावनी जारी करना, धनीय शास्ति अधिरोपित करना, प्रवेश की संख्या में कमी करना या प्रवेशों को रोकना और आयोग को उसकी मान्यता को वापस लेने की सिफारिश करना।

(2) भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड अपने कृत्यों के निर्वहन में आयोग को ऐसी सिफारिशें कर सकेगा और आयोग से ऐसे निदेश ले सकेगा, जिन्हें वह आवश्यक समझे।

नई आयुर्विज्ञान संस्थाओं की स्थापना के लिए अनुज्ञा ।

29. (1) कोई व्यक्ति, भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी नई आयुर्विज्ञान संस्था की स्थापना नहीं करेगा या कोई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रारंभ नहीं करेगा या सीटों की संख्या नहीं बढ़ाएगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, "व्यक्ति" पद के अंतर्गत कोई विश्वविद्यालय, न्यास या कोई अन्य निकाय भी है, किंतु इसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार नहीं है।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए, कोई व्यक्ति भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी निर्धारण और रेटिंग बोर्ड के समक्ष ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट करते हुए ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस के साथ और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, कोई स्कीम प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्राप्त स्कीम पर विचार करते समय भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी निर्धारण और रेटिंग बोर्ड, शिक्षा और अनुसंधान के मानकों, अवसंरचना और संकाय संबंधी मानकों और संन्नियमों, आयुर्विज्ञान संस्थाओं की स्थापना संबंधी मार्गदर्शक सिद्धान्तों और यथास्थिति, आयुर्वेद बोर्ड या यूनानी, सिद्ध और सोवा–रिग्पा बोर्ड द्वारा धारा 26 के अधीन अवधारित अन्य अपेक्षाओं को ध्यान में रखेगा और ऐसी किसी स्कीम की प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर उस स्कीम को अनुमोदित या नामंजूर करने वाला आदेश पारित करेगा :

परंतु ऐसी स्कीम का अननुमोदन करने से पूर्व, संबंधित व्यक्ति को त्रुटियों, यदि कोई हो को सुधारने के लिए एक अवसर दिया जाएगा।

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन किसी स्कीम का अनुमोदन कर दिया जाता है, वहां ऐसा अनुमोदन, उपधारा (1) के अधीन किसी नई आयुर्विज्ञान संस्था को स्थापित करने की अनुज्ञा होगी।

(5) जहां किसी स्कीम का उपधारा (3) के अधीन अननुमोदन किया जाता है या जहां उपधारा (2) के अधीन स्कीम को प्रस्तुत किए जाने के तीन मास के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है, वहां संबद्ध व्यक्ति, यथास्थिति, ऐसे अननुमोदन की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर या तीन मास के अवसान के पश्चात् ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, आयोग को अपील कर सकेगा।

(6) जहां आयोग ने स्कीम को अननुमोदित कर दिया है या उपधारा (5) के अधीन अपील फाइल करने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, वहां संबद्ध व्यक्ति, यथास्थिति, ऐसे अननुमोदन की संसूचना की तारीख से सात दिन के भीतर या पन्द्रह दिन की विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान पर केंद्रीय सरकार को एक दूसरी अपील कर सकेगा।

(7) भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी निर्धारण और रेटिंग बोर्ड, किसी भी समय प्रत्यक्ष तौर पर या चिकित्सा व्यवसाय में सत्यनिष्ठा और अनुभव रखने वाले किसी विशेषज्ञ के माध्यम से बिना किसी पूर्व सूचना के किसी विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था का मूल्यांकन या निर्धारण कर

सकेगा तथा ऐसे विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था के कार्यपालन, मानकों और बेंचमार्कों का निर्धारण और मूल्यांकन कर सकेगा।

स्कीम को अनुमोदित करने या अननुमोदित करने के मानदंड।

30. धारा 29 के अधीन किसी स्कीम का अनुमोदन या अननुमोदन करते समय, यथास्थिति, भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी चिकित्सा निर्धारण और रेटिंग बोर्ड या आयोग निम्नलिखित मानकों पर विचार करेगा, अर्थात् :—

(क) अवसंरचना और वित्तीय संसाधनों की पर्याप्तता;

(ख) क्या आयुर्विज्ञान संस्था के उचित कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त शैक्षणिक संकाय, अध्यापनेत्तर कर्मचारिवृन्द और अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई हैं या उसे स्कीम में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्रदान किया गया है;

(ग) क्या पर्याप्त चिकित्सालय सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं या उन्हें स्कीम में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्रदान किया जाएगा;

(घ) ऐसे अन्य कारक, जो विहित किए जाएं:

परंतु केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए ऐसी आयुर्विज्ञान संस्थाओं के मानदंड को शिथिल किया जा सकेगा जो ऐसे क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं जो विनियमन के द्वारा विनिर्दिष्ट है।

राज्य चिकित्सा परिषद्।

31. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष के भीतर, यदि किसी राज्य में कोई भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी राज्य चिकित्सा परिषद् विद्यमान नहीं है, जो उस राज्य में ऐसी परिषद् की स्थापना करेगी।

(2) जहां कोई राज्य अधिनियम राज्य चिकित्सा परिषद् को, भारतीय चिकित्सा पद्धति के किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी के किसी वृत्तिक या नैतिक कदाचार के संबंध में अनुशासनिक कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान करता है, वहां राज्य चिकित्सा परिषद् इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों और विरचित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार कार्रवाई करेगी :

परंतु उस समय तक जब तक कि राज्य में भारतीय चिकित्सा पद्धति की राज्य चिकित्सा परिषद् की स्थापना नहीं हो जाती है, भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड, उस राज्य में विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की गई प्रक्रिया के अनुसार भारतीय चिकित्सा पद्धति के रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों के किसी वृत्तिक या नैतिक कदाचार से संबंधित परिवादों और शिकायतों को प्राप्त करेगा :

परंतु यह और कि, यथास्थिति, भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड या राज्य चिकित्सा परिषद् ऐसे किसी व्यवसायी को, उसके विरुद्ध कोई आदेश पारित करने या कोई कार्रवाई, जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध धनीय शास्ति अधिरोपित किया जाना भी है, करने से पूर्व, सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।

(3) भारतीय चिकित्सा पद्धति का कोई व्यवसायी जो,—

(क) उपधारा (2) के अधीन राज्य चिकित्सा परिषद् द्वारा पारित किसी आदेश से या की गई कार्रवाई से व्यथित है भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड के समक्ष अपील कर सकेगा और उस पर भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड का विनिश्चय, यदि कोई हो, तब तक ऐसी राज्य चिकित्सा परिषद् पर आबद्धकर होगा, जब तक कि उपधारा (4) के अधीन कोई दूसरी अपील फाइल नहीं की जाती है;

(ख) उपधारा (2) के पहले परंतुक के अधीन भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड द्वारा पारित किसी आदेश से या की गई कार्रवाई से व्यथित है, आयोग को अपील कर सकेगा।

(4) भारतीय चिकित्सा पद्धति का कोई चिकित्सा व्यवसायी, जो भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड के विनिश्चय से व्यथित है ऐसे विनिश्चिय की संसूचना के साठ दिन के भीतर आयोग को अपील कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "राज्य" के अंतर्गत कोई संघ राज्यक्षेत्र भी है और किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में "राज्य सरकार" और "भारतीय चिकित्सा पद्धति की राज्य चिकित्सा परिषद्" पदों से क्रमशः "केन्द्रीय सरकार" और "भारतीय चिकित्सा पद्धति की संघ राज्यक्षेत्र चिकित्सा परिषद्" अभिप्रेत होगी;

(ख) "वृत्तिक या नैतिक कदाचार" पद के अंतर्गत ऐसे किसी कार्य का किया जाना या उसका लोप भी है, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

भारतीय चिकित्सा पद्धति का राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर।

32. (1) भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड एक राष्ट्रीय रजिस्टर रखेगा, जिसमें भारतीय चिकित्सा पद्धति के किसी अनुज्ञात चिकित्सा व्यवसायी का नाम, पता और उसके द्वारा धारण की जाने वाली सभी मान्यताप्राप्त अर्हताएं और ऐसी अन्य विशिष्टियां होंगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

(2) राष्ट्रीय रजिस्टर ऐसे प्ररूप में, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक प्ररूप भी है, और ऐसी रीति में रखा जाएगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(3) राष्ट्रीय रजिस्टर में किसी नाम या किसी अर्हता को जोड़े जाने या उसे हटाए जाने की रीति और हटाए जाने के आधार वे होंगे, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(4) राष्ट्रीय रजिस्टर, भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड द्वारा उसकी वेबसाईट पर रखकर जनसाधारण को उपलब्ध कराया जाएगा।

(5) प्रत्येक राज्य चिकित्सा परिषद्, विनिर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक रूपविधान में एक राज्य रजिस्टर रखेगी तथा उसे नियमित रूप से अद्यतन करेगी और उसकी एक प्रति, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन मास के भीतर भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड को उपलब्ध कराएगी।

(6) भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर ऐसी रीति में इलैक्ट्रानिक रूप से सुमेलित रहे कि ऐसे किसी एक रजिस्टर में कोई परिवर्तन स्वतः ही अन्य रजिस्टर में दर्शित हो।

राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकित किए जाने के लिए व्यक्तियों के अधिकार और इस संबंध में उनकी बाध्यताएं।

33. (1) ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके पास इस अधिनियम के अधीन भारतीय चिकित्सा पद्धति में कोई मान्यताप्राप्त अर्हता है और जो धारा 15 के अधीन आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय निकास परीक्षा को अर्हित करता है, भारतीय चिकित्सा पद्धति में व्यवसाय की अनुज्ञप्ति दी जाएगी और उसके नाम तथा अर्हताओं को, सर्वप्रथम राज्य के रजिस्टर में और इसके पश्चात् इस अधिनियम के अधीन अनुरक्षित राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकित किया जाएगा :

परंतु ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व और धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय निकास परीक्षा आरंभ होने से पूर्व भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन अनुरक्षित भारतीय चिकित्सा परिषद् के केन्द्रीय रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत किया गया है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जाएगा और उसे इस अधिनियम के अधीन बनाए गए राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकित किया जाएगा।

1970 का 48

(2) ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसने भारत से बाहर किसी अन्य देश में स्थापित किसी आयुर्विज्ञान संस्था से भारतीय चिकित्सा पद्धति में कोई अर्हता प्राप्त की है और जो उस देश में भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सा व्यवसायी के रूप में मान्यताप्राप्त है, इस अधिनियम के प्रारंभ तथा धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी राष्ट्रीय निकास परीक्षा के प्रवर्तन में आने के पश्चात् भारतीय चिकित्सा पद्धति के राष्ट्रीय रजिस्टर में तब तक नामांकित

नहीं किया जाएगा, जब तक वह भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी राष्ट्रीय निकास परीक्षा को अर्हित नहीं कर लेता है।

(3) जब ऐसा कोई व्यक्ति, जिसका नाम, यथास्थिति, राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है, कोई उपाधि, डिप्लोमा, विज्ञान अथवा चिकित्सा में प्रवीणता संबंधी ऐसी कोई अर्हता प्राप्त करता है जो, यथास्थिति, धारा 34 या धारा 35 के अधीन एक मान्यताप्राप्त अर्हता है, तो वह ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी उपाधि, डिप्लोमा या अर्हता को राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में, अपने नाम के सामने प्रविष्ट किए जाने का हकदार होगा।

व्यक्तियों का व्यवसाय करने का अधिकार।

34. (1) यथास्थिति, राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में नामांकित व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति,—

(क) एक अर्हित व्यवसायी के रूप में भारतीय चिकित्सा पद्धति में व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;

(ख) चिकित्सक या शल्य चिकित्सक के रूप में कोई पद या ऐसा कोई अन्य पद, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, धारण नहीं करेगा, जिसे, यथास्थिति, चिकित्सक या शल्य चिकित्सक द्वारा धारित किया जाना है;

(ग) ऐसे किसी चिकित्सा या आरोग्य प्रमाणपत्र या किसी अन्य ऐसे प्रमाणपत्र पर, जिसका विधि द्वारा किसी अर्हित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या अधिप्रमाणित किया जाना अपेक्षित है, हस्ताक्षर करने या उसे अधिप्रमाणित करने का हकदार नहीं होगा;

(घ) किसी मृत्युपरीक्षा में साक्ष्य देने या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45 के अधीन विशेषज्ञ के रूप में भारतीय चिकित्सा पद्धति से संबंधित किसी विषय पर किसी न्यायालय में साक्ष्य देने का हकदार नहीं होगा : 1872 का 1

परंतु आयोग ऐसे व्यवसायियों की एक सूची, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह और कि ऐसे किसी विदेशी नागरिक को, जो अपने देश में, उस देश में चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार भारतीय चिकित्सा पद्धति में व्यवसायी के रूप में नामांकित है, भारत में ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, भारत में अस्थायी रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(2) ऐसे किसी व्यक्ति को, जो इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में कोई कार्य करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

(3) इस धारा की कोई बात,—

(क) राज्य रजिस्टर में भारतीय चिकित्सा पद्धति के व्यवसायी के रूप में नामांकित किसी व्यक्ति के किसी भी राज्य में व्यवसाय करने के अधिकार को, केवल इस आधार पर प्रभावित नहीं करेगी कि उसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को भारतीय चिकित्सा पद्धति में मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता नहीं है;

(ख) ऐसे विशेषाधिकारों को, जिनके अंतर्गत किसी राज्य में, उस राज्य के राज्य रजिस्टर में नामांकित भारतीय चिकित्सा पद्धति के व्यवसायियों को उस राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त चिकित्सा की किसी प्रणाली में व्यवसाय करने का अधिकार भी है प्रभावित नहीं करेगी;

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति के, जो किसी राज्य में कम से कम पांच वर्ष के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति में व्यवसाय कर रहा है, उस राज्य में व्यवसाय जारी रखने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी, जिसमें इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को भारतीय चिकित्सा पद्धति के राज्य रजिस्टर में अनुरक्षित नहीं किया गया है।

अध्याय 6

भारतीय चिकित्सा पद्धति की अर्हताओं को मान्यता

भारत में विश्वविद्यालयों या आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा अनुदत्त अर्हताओं को मान्यता ।

35. (1) भारत में किसी विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति में स्नातक पूर्व या स्नातकोत्तर या अति विशिष्ट स्तर पर प्रदान की जाने वाली चिकित्सा अर्हताओं को, यथास्थिति, आयुर्वेद बोर्ड या यूनानी, सिद्ध और सोवा–रिग्पा बोर्ड द्वारा ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सूचीबद्ध किया जाएगा और अनुरक्षित किया जाएगा और ऐसी चिकित्सा अर्हता इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी।

(2) भारत का कोई ऐसा विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था, जो भारतीय चिकित्सा पद्धति में स्नातक पूर्व या स्नातकोत्तर या अति विशिष्ट स्तर पर चिकित्सा अर्हताओं को प्रदान करता है, किंतु उसे, यथास्थिति, आयुर्वेद बोर्ड या यूनानी, सिद्ध और सोवा–रिग्पा बोर्ड द्वारा अनुरक्षित सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, वह ऐसी अर्हता को मान्यता प्रदान करने के लिए उस बोर्ड को आवेदन कर सकेगी।

(3) यथास्थिति, आयुर्वेद बोर्ड या यूनानी, सिद्ध और सोवा–रिग्पा बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति में की किसी अर्हता को मान्यता प्रदान करने के किसी आवेदन की छह मास की अवधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, परीक्षा करेगा।

(4) जहां, यथास्थिति, आयुर्वेद बोर्ड या यूनानी, सिद्ध और सोवा–रिग्पा बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति में अर्हता को मान्यता प्रदान करने का विनिश्चय करता है, वहां वह ऐसी अर्हता को उसके द्वारा अनुरक्षित सूची में सम्मिलित करेगा और उसमें ऐसी मान्यता प्रभावी करने की तारीख भी विनिर्दिष्ट करेगा, अन्यथा वह उस चिकित्सीय अर्हता को मान्यता प्रदान न करने के अपने विनिश्चय की सूचना संबद्ध विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था को देगा।

(5) व्यथित विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था, यथास्थिति, आयुर्वेद बोर्ड या यूनानी, सिद्ध और सोवा–रिग्पा बोर्ड के विनिश्चय की संसूचना की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, आयोग को अपील कर सकेगा।

(6) आयोग, उपधारा (5) के अधीन प्राप्त अपील की दो मास की अवधि के भीतर परीक्षा करेगा और यदि वह यह विनिश्चय करता है कि ऐसी चिकित्सा अर्हता को मान्यता प्रदान की जा सकती है तो वह संबद्ध बोर्ड को, उस अर्हता को उस बोर्ड द्वारा अनुरक्षित सूची में ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सम्मिलित करने का निदेश दे सकेगा।

(7) जहां आयोग उपधारा (6) के अधीन मान्यता प्रदान न करने का विनिश्चय करता है या विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विनिश्चय करने में असफल रहता है, वहां व्यथित विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था, यथास्थिति, ऐसे विनिश्चय की संसूचना की तारीख से या विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार को दूसरी अपील कर सकेगा।

(8) ऐसी सभी चिकित्सा अर्हताओं को, जिन्हें इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व मान्यता प्रदान की गई है और जिन्हें भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, यथास्थिति, आयुर्वेद बोर्ड या यूनानी, सिद्ध और सोवा–रिग्पा बोर्ड द्वारा भी अनुरक्षित सूची में ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सूचीबद्ध और अनुरक्षित किया जाएगा।

1970 का 48

भारत के बाहर आयुर्विज्ञान संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई चिकित्सा अर्हताओं को मान्यता।

36. (1) जहां भारत से बाहर किसी देश में कोई प्राधिकरण, जिसे उस देश की विधि द्वारा उस देश में भारतीय चिकित्सा पद्धति की अर्हताओं की मान्यता का कार्य सौंपा गया है, भारत में ऐसी अर्हता को मान्यता प्रदान करने हेतु आयोग को कोई आवेदन करता है, वहां आयोग, ऐसे सत्यापन के अधीन रहते हुए, जिसे वह आवश्यक समझे, उस चिकित्सा अर्हता को मान्यता प्रदान कर सकेगा या मान्यता प्रदान करने से इंकार कर सकेगा।

(2) जहां आयोग, उपधारा (1) के अधीन किसी चिकित्सा अर्हता को मान्यता प्रदान करता है, वहां ऐसी अर्हता इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त अर्हता होगी और उसे ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, आयोग द्वारा अनुरक्षित सूची में सम्मिलित किया जाएगा :

परंतु उस दशा में, जहां आयोग किसी अर्हता को मान्यता प्रदान न करने का विनिश्चय करता है, वहां आयोग ऐसी अर्हता को मान्यता प्रदान करने से इंकार करने से पूर्व उस प्राधिकरण को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

(3) जहां आयोग उपधारा (2) के अधीन किसी चिकित्सा अर्हता को मान्यता प्रदान करने से इंकार करता है, वहां संबद्ध प्राधिकरण मान्यता प्रदान किए जाने के लिए केंद्रीय सरकार को अपील कर सकेगा।

(4) ऐसी सभी अर्हताएं, जिन्हें इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व मान्यता प्रदान की गई है और जिन्हें भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की चौथी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हताएं होंगी और उन्हें आयोग द्वारा अनुरक्षित सूची में ऐसी रीति में सम्मिलित किया जाएगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए। 1970 का 48

अर्हता की मान्यता वापस लेना या मान्यता समाप्त करना।

37. (1) जहां आयोग को, भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड से कोई रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा यह प्रतीत होता है कि:—

(क) किसी विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा कराए जा रहे अध्ययन पाठ्यक्रम या परीक्षा या उसके द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में अभ्यर्थियों से अपेक्षित प्रवीणता, यथास्थिति, आयुर्वेद बोर्ड या यूनानी, सिद्ध और सोवा–रिग्पा बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप नहीं है; या

(ख) यथास्थिति, आयुर्वेद बोर्ड या यूनानी, सिद्ध और सोवा–रिग्पा बोर्ड द्वारा यथा अवधारित आयुर्विज्ञान संस्थाओं में की अवसंरचना, संकाय और शिक्षा की गुणवत्ता मानकों और सन्नियमों का किसी विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्था द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है और ऐसा विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानकों को बनाए रखने हेतु आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने में असफल रही है,

वहां आयोग उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई आरंभ कर सकेगा:

परंतु आयोग स्वप्रेरणा से किसी विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा प्रदान की गई चिकित्सा अर्हता को अनुदत्त मान्यता को वापस लेने की कार्रवाई करने से पूर्व धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (च) के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित करेगा।

(2) आयोग, ऐसी और जांच करने के पश्चात्, जिसे वह ठीक समझे और राज्य सरकार तथा संबद्ध विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था के प्राधिकारी से परामर्श करने के पश्चात्, इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी चिकित्सा अर्हता को अनुदत्त मान्यता को वापस ले लिया जाना चाहिए, तो वह आदेश द्वारा, ऐसी चिकित्सा अर्हता को अनुदत्त मान्यता को वापस ले सकेगा और यथास्थिति, आयुर्वेद बोर्ड या यूनानी, सिद्ध और सोवा–रिग्पा बोर्ड को यह निदेश दे सकेगा कि वह उस बोर्ड द्वारा अनुरक्षित सूची में संबद्ध विश्वविद्यालय या आयुर्विज्ञान संस्था के सामने की प्रविष्टियों में इस प्रभाव का संशोधन करे कि ऐसी अर्हता को अनुदत्त मान्यता उस आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से वापस ली जाती है।

(3) यदि आयोग की, भारत से बाहर किसी देश के प्राधिकरण से सत्यापन के पश्चात् यह राय है कि किसी मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हता की, जिसे उसके द्वारा अनुरक्षित सूची में सम्मिलित किया गया है, मान्यता को समाप्त किया जाना है, वहां वह, आदेश द्वारा, ऐसी चिकित्सा अर्हता की मान्यता को समाप्त कर सकेगा और उसे ऐसे आदेश की तारीख से आयोग द्वारा अनुरक्षित सूची से हटा सकेगा।

कतिपय दशाओं में अर्हताओं की मान्यता के लिए विशेष उपबंध।

38. जहां आयोग ऐसा करना आवश्यक समझता है, वहां वह, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि भारत से बाहर किसी आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली भारतीय चिकित्सा पद्धति में कोई अर्हता, ऐसी तारीख के पश्चात्, जिसे उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त अर्हता होगी :

परंतु ऐसी अर्हता धारण करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा चिकित्सा व्यवसाय को केवल तभी अनुज्ञात किया जाएगा यदि ऐसे व्यक्ति को उस देश में तत्समय प्रवृत्त चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार चिकित्सा व्यवसायी के रूप में नामांकित किया गया है :

परंतु यह और कि ऐसी अर्हता रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा चिकित्सा व्यवसाय ऐसी अवधि के लिए सीमित होगा, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए :

परंतु यह भी कि ऐसी अर्हता रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा चिकित्सा व्यवसाय को केवल तभी अनुज्ञात किया जाएगा यदि ऐसा व्यक्ति राष्ट्रीय निकास परीक्षा अर्हित करता है।

अध्याय 7

अनुदान, संपरीक्षा और लेखा

केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।

39. केंद्रीय सरकार, इस निमित्त संसद् की विधि द्वारा सम्यक् विनियोग के पश्चात्, आयोग को ऐसी धनराशि का अनुदान कर सकेगी, जो केंद्रीय सरकार ठीक समझे।

भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी राष्ट्रीय आयोग निधि ।

40. (1) "भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी राष्ट्रीय आयोग निधि" नामक एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा:—

(क) आयोग और स्वायत्त बोर्डों द्वारा प्राप्त सभी सरकारी अनुदान, फीस, शास्तियां और प्रभार;

(ख) आयोग द्वारा ऐसे किसी अन्य ऐसे स्रोत से, जो उसके द्वारा विनिश्चित किया जाए प्राप्त सभी धनराशियां।

(2) इस निधि को निम्नलिखित के मद्दे संदाय करने के लिए उपयोजित किया जाएगा,—

(क) आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, स्वायत्त बोर्डों के प्रधानों और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्तों तथा प्रशासनिक व्ययों, जिनके अंतर्गत आयोग तथा स्वायत्त बोर्डों के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते भी हैं;

(ख) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए उपगत व्ययों या उपगत होने वाले व्ययों, जिसके अन्तर्गत आयोग तथा स्वायत्त बोर्डों के कृत्यों के निर्वहन से जुड़े व्यय भी हैं।

संपरीक्षा और लेखा।

41. (1) आयोग, उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और ऐसे प्ररूप में, जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किए जाएं, लेखाओं का एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा।

(2) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा उपगत कोई व्यय आयोग द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक और आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किन्हीं अन्य व्यक्तियों को उस संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में साधारणतया भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के होते हैं और विशिष्ट रूप से लेखा पुस्तकों, लेखाओं, संबद्ध वाऊचरों तथा अन्य दस्तावेजों और कागजपत्र पेश किए जाने की मांग करने और उस तक पूर्ण पहुंच बनाने तथा आयोग के कार्यालयों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित आयोग के लेखे, उस पर संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक रूप से केंद्रीय सरकार को भेजे जाएंगे और उन्हें प्राप्त करने के पश्चात् वह सरकार उसे यथासंभवशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

विवरणियों और रिपोर्टों का केंद्रीय सरकार को दिया जाना।

42. (1) आयोग, केंद्रीय सरकार को ऐसे समय पर, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए या जैसा केंद्रीय सरकार निदेश दे, ऐसी रिपोर्टों और विवरणियों और आयोग की अधिकारिता के अधीन किसी विषय से संबंधित ऐसी विशिष्टियां, जिनकी केंद्रीय सरकार समय–समय पर अपेक्षा करे, देगा।

(2) आयोग प्रत्येक वर्ष में एक बार ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित की जाए, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उसके कार्यकलापों का एक संक्षिप्त विवरण देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उस रिपोर्ट की प्रतियां केंद्रीय सरकार को अग्रेषित की जाएंगी।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति उसकी प्राप्ति के पश्चात् यथासंभवशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

केंद्रीय सरकार की आयोग और स्वायत्त बोर्डों को निदेश देने की शक्ति।

43. (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आयोग और स्वायत्त बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन में, नीति के प्रश्नों संबंधी ऐसे निदेशों से आबद्ध होंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर उन्हें लिखित में दिए जाएं :

परंतु आयोग और स्वायत्त बोर्डों को, यथासाध्य इस उपधारा के अधीन कोई निदेश दिए जाने से पूर्व अपने मत अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

(2) इस संबंध में कि क्या कोई प्रश्न नीति का है या नहीं, केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

केंद्रीय सरकार की राज्य सरकारों को निदेश देने की शक्ति।

44. केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए किसी राज्य सरकार को ऐसे निदेश दे सकेगी, जिन्हें वह आवश्यक समझे और राज्य सरकार ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगी।

आयोग द्वारा दी जाने वाली जानकारी और उसका प्रकाशन।

45. (1) आयोग, केंद्रीय सरकार को ऐसी रिपोर्टें, उसके कार्यवृत्त की प्रतियां, उसके लेखाओं से उद्धरण और ऐसी अन्य जानकारी देगा, जिसकी वह सरकार अपेक्षा करे।

(2) केंद्रीय सरकार, ऐसी रीति में, जो वह ठीक समझे, उपधारा (1) के अधीन उसे दी गई रिपोर्टों, कार्यवृत्तों, लेखाओं से उद्धरण और अन्य जानकारी को प्रकाशित कर सकेगी।

विश्वविद्यालयों और आयुर्विज्ञान संस्थाओं की बाध्यताएं।

46. इस अधिनियम के अधीन आने वाला प्रत्येक विश्वविद्यालय और आयुर्विज्ञान संस्था सभी समय पर एक वेबसाइट अनुरक्षित करेगी और ऐसी बेवसाइट में ऐसी जानकारी प्रदर्शित करेगी, जो, यथास्थिति, आयोग और किसी स्वायत्त बोर्ड द्वारा अपेक्षित हो।

47. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई छात्र, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पूर्व किसी आयुर्विज्ञान संस्था में किसी डिग्री या डिप्लोमा के लिए अध्ययन कर रहा था, वैसे ही अध्ययन करता रहेगा और ऐसी डिग्री या डिप्लोमा के लिए अपने पाठ्यक्रम को पूरा करेगा और ऐसी संस्था, इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व यथा विद्यमान पाठ्यचर्या और अध्ययन रूपरेखा के अनुसार ऐसे छात्र के लिए वैसे ही अनुदेश उपलब्ध कराती रहेगी तथा परीक्षाओं का आयोजन करेगी जैसे ऐसे प्रारंभ से पहले विद्यमान था और उसमें उत्तीर्ण होने पर ऐसे छात्र के बारे में यह माना जाएगा कि उसने इस अधिनियम के अधीन अपने अध्ययन पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया है और उसे इस अधिनियम के अधीन डिग्री या डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। आयुर्विज्ञान संस्थाओं में अध्ययन पाठ्यक्रमों का पूरा किया जाना।

(2) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी आयुर्विज्ञान संस्था को प्रदान की गई मान्यता व्यपगत हो गई है, चाहे ऐसे समय के व्यतिक्रम के कारण हुआ हो या मान्यता को स्वैच्छिक रूप से अभ्यर्पित किए जाने के कारण या किसी अन्य कारण से हुआ हो, वहां ऐसी आयुर्विज्ञान संस्था उस समय तक, जब तक कि सभी अभ्यर्थी उस संस्था में अपने अध्ययन को पूरा करने में समर्थ न हो जाएं, आयोग द्वारा यथा अनुमोदित न्यूनतम मानकों को बनाए रखेगी और उनका उपबंध करेगी।

48. आयोग का अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी तथा स्वायत्त बोर्डों के प्रधान और सदस्यों के बारे में, जब वे इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या उनका कार्य किया जाना तात्पर्यित हो यह समझा जाएगा कि वे भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक हैं। आयोग और स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों का लोक सेवक होना।

1860 का 45

49. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन सरकार, आयोग या किसी स्वायत्त बोर्ड या राज्य चिकित्सा परिषद् या उसकी किसी समिति के या सरकार या आयोग के इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी। सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

50. कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, यथास्थिति, आयोग या भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड या राज्य चिकित्सा परिषद् द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की गई लिखित शिकायत के सिवाय नहीं करेगा। अपराधों का संज्ञान।

51. (1) यदि केंद्रीय सरकार की किसी भी समय यह राय है कि,— केंद्रीय सरकार की आयोग को अतिष्ठित करने की शक्ति।

(क) आयोग इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है; या

(ख) आयोग ने निरंतर, केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन उसे जारी निदेशों के अनुपालन में या इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में व्यतिक्रम किया है,

तो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, आयोग को छह मास से अनधिक की उतनी अवधि के लिए अतिष्ठित कर सकेगी, जितनी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई अधिसूचना जारी करने से पूर्व, केंद्रीय सरकार, आयोग को इस बात का कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगी कि उसे अतिष्ठित क्यों नहीं किया जाना चाहिए और आयोग द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों और आक्षेपों, यदि कोई हों, पर विचार करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन आयोग को अतिष्ठित करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर,—

(क) सभी सदस्य अतिष्ठित किए जाने की तारीख से अपना पद रिक्त कर देंगे;

(ख) आयोग द्वारा या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उसके

अधीन प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों या निर्वहन किए जाने वाले कृत्यों और कर्तव्यों का, उपधारा (3) के अधीन आयोग का पुनर्गठन किए जाने तक ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा केंद्रीय सरकार निदेश दे, प्रयोग और निर्वहन किया जाएगा;

(ग) आयोग के स्वामित्व या नियंत्रण वाली सभी संपत्तियां, उपधारा (3) के अधीन आयोग का पुनर्गठन किए जाने तक केंद्रीय सरकार में निहित होंगी।

(3) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अतिष्ठितकाल के अवसान पर,—

(क) अतिष्ठितकाल को, छह मास से अनधिक उतनी और अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा, जितनी वह ठीक समझे; या

(ख) आयोग का नए सिरे से नियुक्त करके पुनर्गठन कर सकेगी और उस दशा में ऐसे सदस्य, जिन्होंने उपधारा (2) के अधीन अपने पद रिक्त किए थे, नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझे जाएंगे :

परंतु केंद्रीय सरकार, अतिष्ठितकाल, चाहे वह अवधि मूल रूप से उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट की गई हो या इस उपधारा के अधीन यथाविस्तारित अवधि हो, के अवसान से पूर्व, किसी भी समय इस उपधारा के खंड (ख) के अधीन कार्रवाई कर सकेगी।

(4) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन एक अधिसूचना जारी करवाएगी और इस धारा के अधीन की गई किसी कार्रवाई और ऐसी कार्रवाई को किए जाने वाली परिस्थितियों से संबंधित पूरी रिपोर्ट को शीघ्रतम अवसर पर संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की संयुक्त बैठकें।

52. (1) भारतीय चिकित्सा पद्धति, होम्योपैथी और आयुर्विज्ञान की आधुनिक पद्धति के बीच परस्पर क्रिया का संवर्धन करने के लिए, वर्ष में कम से कम एक बार, ऐसे समय और स्थान पर, जो परस्पर सहमति से नियत किया जाए, आयोग, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग तथा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की संयुक्त बैठक की जाएगी।

(2) संबद्ध आयोगों के अध्यक्षों के बीच परस्पर सहमति से संयुक्त बैठक की कार्यसूची प्रस्तुत की जा सकेगी।

(3) संयुक्त बैठक में, उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के पुष्टिकारक मत द्वारा, ऐसे विनिर्दिष्ट शैक्षिक और शिक्षा मोड्यूल कार्यक्रमों को अनुमोदित करने का विनिश्चय किया जा सकेगा, जिन्हें सभी चिकित्सा पद्धतियों में स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के स्तर पर आरंभ किया जा सकेगा और इस प्रकार चिकित्सा बहुलवाद का संवर्धन किया जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा लोक स्वास्थ्य का संवर्धन।

53. प्रत्येक राज्य सरकार, लोक स्वास्थ्य का पता लगाने या उसके संवर्धन के प्रयोजनों के लिए, स्वास्थ्य देखरेख वृत्तिकों की सक्षमता में अभिवृद्धि करने हेतु आवश्यक उपाय कर सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति।

54. (1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन सलाहकार परिषद् में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के नामनिर्देशितियों में से चक्रानुक्रम आधार पर आयोग के दस सदस्यों को नियुक्त करने की रीति;

(ख) धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ग) के अधीन सदस्यों की नियुक्ति की रीति;

(ग) धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ को नामनिर्दिष्ट किए जाने की रीति;

(घ) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(ङ) धारा 6 की उपधारा (6) के अधीन घोषणा करने का प्ररूप और रीति;

(च) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन सचिव द्वारा धारण की जाने वाली अर्हताएं और अनुभव;

(छ) धारा 8 की उपधारा (6) के अधीन आयोग के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(ज) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ञ) के अधीन आयोग द्वारा प्रयोग की जाने वाली अन्य शक्तियां और पालन किए जाने वाले अन्य कृत्य;

(झ) धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन स्वायत्त बोर्ड के प्रधान और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(ञ) धारा 30 के खंड (घ) के अधीन अन्य कारक;

(ट) धारा 34 की उपधारा (1) के पहले परंतुक के अधीन व्यवसायियों की सूची प्रस्तुत करने की रीति;

(ठ) धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक लेखा विवरण तैयार करने का प्ररूप;

(ड) धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन वह समय, जिसके भीतर और वह प्ररूप तथा रीति, जिसमें आयोग द्वारा रिपोर्टें और विवरण प्रस्तुत किए जाएंगे और किसी ऐसे विषय से संबंधित विशिष्टियां, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अपेक्षित हों;

(ढ) धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने का प्ररूप और समय;

(ण) धारा 58 की उपधारा (3) के दूसरे परंतुक के अधीन नियोजन को समयपूर्व समाप्त करने के लिए प्रतिकर;

(त) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।

विनियम बनाने की शक्ति।

55. (1) आयोग अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से सुसंगत विनियम बना सकेगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :––

(क) धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन आयोग के सचिव द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कृत्य;

(ख) वह प्रक्रिया, जिसके अनुसार धारा 8 की उपधारा (7) के अधीन विशेषज्ञों और वृत्तिकों को नियोजित किया जा सकेगा और ऐसे विशेषज्ञों और वृत्तिकों की संख्या;

(ग) धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन आयोग की बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत उसकी बैठकों की गणपूर्ति भी है;

(घ) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन भारतीय चिकित्सा पद्धति की शिक्षा में बनाए रखे जाने वाली गुणवत्ता और मानक;

(ङ) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन आयुर्विज्ञान संस्थाओं, चिकित्सा अनुसंधानों और चिकित्सा वृत्तिकों को विनियमित करने की रीति;

(च) धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन आयोग, स्वायत्त बोर्डों और राज्य चिकित्सा परिषदों के कार्यकरण की रीति;

(छ) धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन चिकित्सा सलाहकार परिषद् की बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत उसकी बैठकों की गणपूर्ति भी है;

(ज) धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन ऐसी अन्य भाषाएं, जिसमें अभिहित प्राधिकरण राष्ट्रीय पात्रता–सह–प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेगा और परीक्षा कराए जाने की रीति;

(झ) धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन अभिहित प्राधिकरण द्वारा आयुर्विज्ञान संस्थाओं में प्रवेश हेतु सामान्य काउंसलिंग आयोजित कराए जाने की रीति;

(ञ) धारा 14 की उपधारा (4) के अधीन पूर्व स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों के प्रवेश की रीति;

(ट) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन ऐसी अन्य भाषाएं, जिसमें अभिहित प्राधिकरण राष्ट्रीय निकास परीक्षा का आयोजन करेगा और परीक्षा कराए जाने की रीति;

(ठ) वह रीति जिसमें ऐसे व्यक्ति, जो विदेशी चिकित्सां अर्हता धारित करते हैं, धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन राष्ट्रीय निकास परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे;

(ड) धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन ऐसी अन्य भाषाएं, जिसमें अभिहित प्राधिकरण, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेगा और ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश की रीति;

(ढ) धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन अभिहित प्राधिकरण द्वारा सभी आयुर्विज्ञान संस्थाओं में स्नातकोत्तर स्थानों में प्रवेश हेतु सामान्य काउंसलिंग आयोजित कराए जाने की रीति;

(ण) धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन करने की रीति और वह अभिहित प्राधिकरण, जिसके माध्यम से ऐसी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा;

(त) धारा 23 के अधीन आयोग द्वारा स्वायत्त बोर्डों को उपलब्ध कराए जाने वाले विशेषज्ञों, वृत्तिकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या और उन्हें उपलब्ध कराए जाने की रीति;

(थ) वह रीति, जिसमें धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन स्वायत्त बोर्डों के विनिश्चय किए जाएंगे;

(द) धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन सभी स्तरों पर सक्षमता आधारित सक्रिय पाठ्यचर्या;

(ध) धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और सोवा–रिग्पा में स्नातक, स्नातकोत्तर और अति विशिष्ट पाठ्यक्रम प्रदान करने की रीति;

(न) धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन आयुर्विज्ञान संस्थाओं में पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं के संचालन के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं और मानक;

(प) धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन भारतीय चिकित्सा पद्धति की आयुर्विज्ञान संस्थाओं में की अवसंरचना, संकाय और शिक्षा तथा अनुसंधान के गुणवत्ता संबंधी मानक और सन्नियम;

(फ) धारा 27 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन वृत्तिक आचरण को विनियमित करने की रीति और चिकित्सा संबंधी नैतिकता का संवर्धन;

(ब) धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन आयुर्विज्ञान संस्थाओं के मूल्यांकन और रेटिंग करने की रीति;

(भ) धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन आयुर्विज्ञान संस्थाओं का मूल्यांकन और रेटिंग का निरीक्षण करने की रीति;

(म) धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन सभी आयुर्विज्ञान संस्थाओं का मूल्यांकन और रेटिंग करने की रीति और उसके लिए स्वतंत्र रेटिंग अभिकरणों को पैनलबद्ध करने की रीति;

(य) धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन आयुर्विज्ञान संस्थाओं के मूल्यांकन और रेटिंग को वेबसाइट या सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध कराए जाने की रीति;

(यक) धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन किसी आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा न्यूनतम अनिवार्य मानकों को बनाए रखने में असफल रहने पर उसके विरुद्ध किए जाने वाले उपाय;

(यख) धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन नए आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों की स्थापना के लिए स्कीम का प्ररूप, उसकी विशिष्टियां, उसके साथ लगाई जाने वाली फीस और स्कीम को प्रस्तुत करने की रीति;

(यग) धारा 29 की उपधारा (5) के अधीन स्कीम के अनुमोदन के लिए आयोग को अपील करने की रीति;

(यघ) धारा 30 के परंतुक के अधीन ऐसे क्षेत्र जिनके संबंध में मानदंडों को शिथिल किया जा सकेगा;

(यङ) धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन भारतीय चिकित्सा पद्धति संबंधी नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड द्वारा परिवाद और शिकायतें प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया और किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी के विरुद्ध वृत्तिक या नैतिक कदाचार के लिए राज्य चिकित्सा परिषद् द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई करने की रीति;

(यच) धारा 31 के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अधीन ऐसे कारण या लोप संबंधी कार्य, जो वृत्तिक या नैतिक कदाचार के समतुल्य है;

(यछ) धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय रजिस्टर में अंतर्विष्ट की जाने वाली अन्य विशिष्टियां;

(यज) धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय रजिस्टर के अनुरक्षण का प्ररूप, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक प्ररूप भी है और उसके अनुरक्षण की रीति;

(यझ) वह रीति, जिसमें धारा 32 की उपधारा (3) के अधीन किसी नाम या अर्हता को राष्ट्रीय रजिस्टर में जोड़ा जा सकेगा या हटाया जा सकेगा और उन्हें हटाए जाने के लिए आधार;

(यञ) धारा 33 की उपधारा (3) के अधीन राज्य रजिस्टर या राष्ट्रीय रजिस्टर में उपाधि, डिप्लोमा या अर्हता की प्रविष्टि करने की रीति;

(यट) वह रीति, जिसमें और वह अवधि, जिसके लिए धारा 34 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन किसी विदेशी नागरिक को अस्थायी रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञात किया जा सकेगा;

(यठ) धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन भारत में किसी विश्वविद्यालय या चिकित्सा संस्था द्वारा प्रदान की जाने वाली चिकित्सा अर्हताओं की सूची तैयार करने और उसके अनुरक्षण की रीति;

(यड) धारा 35 की उपधारा (3) के अधीन मान्यता प्रदान करने के आवेदन की परीक्षा करने की रीति;

(यढ) धारा 35 की उपधारा (5) के अधीन मान्यता प्रदान किए जाने के संबंध में आयोग को अपील करने की रीति;

(यण) धारा 35 की उपधारा (6) के अधीन बोर्ड द्वारा अनुरक्षित सूची में कोई चिकित्सा अर्हता सम्मिलित करने की रीति;

(यत) वह रीति, जिसमें धारा 35 की उपधारा (8) के अधीन आयुर्वेद बोर्ड या यूनानी, सिद्ध और सोवा–रिग्पा बोर्ड उन चिकित्सा अर्हताओं की सूची तैयार करेंगे और अनुरक्षित करेंगे, जिन्हें इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व मान्यता प्रदान की गई है;

(यथ) वह रीति, जिसमें धारा 36 की उपधारा (4) के अधीन आयोग उन चिकित्सा अर्हताओं की सूची तैयार करेगा और अनुरक्षित करेगा, जिन्हें इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्व मान्यता प्रदान की गई है।

नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना।

56. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति, उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि, यथास्थिति, वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

57. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों:

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

58. (1) उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 निरसित किया जाता है और उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् विघटित हो जाएगी। 1970 का 48

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के निरसन के होते हुए भी, निम्नलिखित पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,––

(क) इस प्रकार निरसित अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई किसी बात या किसी कार्रवाई पर; या

(ख) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी

अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व पर; या

(ग) इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन किसी उल्लंघन के संबंध में उपगत किसी शास्ति पर; या

(घ) यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व या शास्ति के संबंध में किसी कार्यवाही या उपचार पर और ऐसी किसी कार्यवाही या उपचार को उसी प्रकार संस्थित किया जा सकेगा, जारी या प्रवृत्त रखा जा सकेगा या ऐसी शास्ति वैसे ही अधिरोपित की जा सकेगी, मानो वह अधिनियम निरसित नहीं किया गया है।

(3) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् के विघटन पर, उस परिषद् के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति और सदस्य के रूप में नियुक्त अन्य प्रत्येक व्यक्ति और परिषद् का कोई अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जो ऐसे विघटन से ठीक पूर्व ऐसा कोई पद धारण किए हुए थे, अपने–अपने पदों को रिक्त कर देंगे और ऐसा अध्यक्ष और अन्य सदस्य, उनकी पदावधि या सेवा की किसी संविदा के समयपूर्व समापन के लिए तीन मास से अनधिक के वेतन और भत्तों के प्रतिकर का दावा करने के लिए हकदार होंगे :

परंतु ऐसा कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी, जो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् के विघटन से ठीक पूर्व भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त था, ऐसे विघटन पर, यथास्थिति, अपने मूल काडर, मंत्रालय या विभाग में वापस चला जाएगा:

परंतु यह और कि ऐसा कोई अधिकारी, विशेषज्ञ, वृत्तिक या अन्य कर्मचारी, जिसे भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् के विघटन से ठीक पूर्व भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् में नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर नियोजित किया गया था, केन्द्रीय परिषद् का ऐसा अधिकारी, विशेषज्ञ, वृत्तिक या अन्य कर्मचारी नहीं रहेगा और वह अपने नियोजन के समयपूर्व समापन के लिए ऐसे प्रतिकर का दावा करने के लिए हकदार होगा, जो कम से कम तीन मास का ऐसा वेतन और भत्ता होगा, जो विहित किया जाए।

1970 का 48 (4) पूर्वोक्त अधिनियमिति के निरसन के होते हुए भी, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन किया गया कोई आदेश, जारी की गई कोई व्यवसाय अनुज्ञप्ति, किया गया कोई रजिस्ट्रीकरण, किसी नई आयुर्विज्ञान संस्था को आरंभ करने या नए उच्चतर अध्ययन पाठ्यक्रमों को आरंभ करने या प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने की कोई अनुमति, किसी चिकित्सा अर्हता को प्रदान की गई मान्यता, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को प्रवर्तन में बनी हुई है, उनके अवसान की तारीख तक, सभी प्रयोजनों के लिए, वैसे ही प्रवर्तन में बनी रहेंगी मानों उन्हें इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के अधीन जारी या मंजूर किया गया था।

59. (1) आयोग, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् का, जिसके अंतर्गत उसके समनुषंगी या उसके स्वामित्वाधीन न्यास भी हैं, हित में उत्तरवर्ती होगा और भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् की सभी आस्तियों और दायित्वों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे आयोग को अंतरित हो गए हैं। संक्रमणकालीन उपबंध।

1970 का 48 (2) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के निरसन के होते हुए भी, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अधीन चिकित्सा मानक, अपेक्षाएं और अन्य उपबंध तब तक प्रवर्तन और प्रचालन में रहेंगे, जब तक कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के अधीन नए मानक या अपेक्षाएं विनिर्दिष्ट न कर दी जाएं :

परंतु निरसनाधीन अधिनियमिति और उसके बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन बनाए गए चिकित्सा मानकों और अपेक्षाओं के संबंध में की गई कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी और वह तद्नुसार तब तक प्रवर्तन में बनी रहेंगी, जब तक उसे इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई द्वारा अधिक्रांत नहीं कर दिया जाता है।

(3) केंद्रीय सरकार ऐसे समुचित उपाय करेगी, जो विघटित भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् के, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए तत्समान नए आयोग को सुचारू संक्रमण के लिए आवश्यक हों।